

बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं० – 56/14-15

1. परिचयात्मक :-

(क)	अंकेक्षित लेखा का नाम –	प्रखण्ड विकास कार्यालय, बरवीघा, शेखपुरा
(ख)	अंकेक्षण का लेखावधि –	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 तक।
(ग)	प्रशासी विभाग का नाम –	ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना।
(घ)	अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल—	(i). श्री मो० साकिर जमाल, उप विकास आयुक्त शेखपुरा। दि०— 01.04.10 से 28.03.11 तक (ii) श्री मो० इजतवा हुसैन, उप विकास आयुक्त, शेखपुरा दि०—29.3.11 से 17.06.11 तक (iii) श्री गोपाल कृष्ण परमहंस, उप विकास आयुक्त, शेखपुरा। दि०— 18.6.11 से 31.3.12 तक।
(ङ)	अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –	(i) मो० नुरुलसेन प्र०वि० पदाधिकारी दि०—01.04.10 से 03.04.10 तक (ii) श्री रामयश राम, प्र०वि० पदाधिकारी दि०—4.4.10 से 3.08.11 तक (iii) श्री ईश्वर दयाल, प्र०वि० पदाधिकारी दि०—4.8.11 से 31.3.12 तक

क्र०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	अवधि
(i)	श्री हरदेव चौधरी	प्रधान लिपिक	1.4.10 से 20.7.11 तक
(ii)	अली जफर मोहम्मद नसीम	" "	21.7.11 से 15.11.11 तक
(iii)	श्री बालेश्वर राम	" "	16.11.11 से 22.11.11 तक
(iv)	अली जफर मोहम्मद नसीम	" "	23.11.11 से 31.3.12 तक
(v)	श्री हरदेव चौधरी	प्रखण्ड नाजीर	1.4.10 से 21.5.10 तक
(vii)	श्री शैलेन्द्र गुप्ता	" "	6.1.12 से 31.3.12 तक

(च)	अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदा० एवं कर्मचारी का नाम, पदनाम :-	(i) श्री विजय कुमार सिंह, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (ii) श्री शैलेन्द्र गुप्ता- प्रखण्ड नाजीर
(छ)	वरीय अंकेक्षकों के नाम -	(i) श्री संजय कुमार सिन्हा, वरीय अंकेक्षक (ii) श्री उदय कुमार सिन्हा, वरीय अंकेक्षक (iii) श्री उमेश चन्द्र झा, वरीय अंकेक्षक
(ज)	अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि -	10.12.13 / 19.5.14
(झ)	अंकेक्षण समाप्ति तिथि -	10.9.14
(ञ)	अंकेक्षण में व्यतीत कार्यदिवस-	58 दिन
(ट)	अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची -	अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "क" पर अंकित है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :-

- (i) अंकेक्षण का प्रकार — सामान्य
- (ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के ज्ञापांक 3286 दिनांक-15.9.60
- (iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र -

प्रखण्ड विकास कार्यालय बरवीघा के अन्तर्गत दस ग्राम पंचायत एवं एक नगर पंचायत अवस्थित है। कार्यालय द्वारा सभी ग्राम पंचायत की जनता के लिए लोक कल्याणकारी एवं विकास का कार्य किया जाता है।

(iv) वित्तीय श्रोत – आवंटन

अंकेक्षणान्तर्गत लेखावधि वर्ष -10-11 से 11-12 की आवंटन एवं व्यय विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट “ख” पर अंकित है। आवंटन से संबंधित पत्रों का रख रखाव ठीक से नहीं रहने के कारण प्राप्त आवंटन में दिखाई गई राशि की सत्यता की जाँच संभव नहीं हो सका। विभागीय सक्षम पदाधिकारियों द्वारा इसकी समीक्षात्मक जाँच करा ली जाय। बचत में दिखाई गई राशि का प्रत्यार्पण किया पाया गया। इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्ति एवं व्यय तथा पूर्व वर्षों के अवशेष को प्रारम्भण रोकड़ के रूप में एवं वित्तीय वर्ष के अन्त में बचत को संवरण रोकड़ के रूप में दिखाते हुए अलग से परिशिष्ट “ख” पर उद्धृत किया गया है। कार्यालय द्वारा इस संबंध में कोई ब्यौरा अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति – कार्यालय द्वारा अंकेक्षित अवधि में कोषागार से निकासी एवं जमा राशि का सत्यापन जिला कोषागार शेखपुरा के सम्बद्ध अभिलेखों से शत प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति –
अनुपालन प्रेषित नहीं किया गया है।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति –
अनुपालन प्रेषित नहीं किया गया है।

(3) वित्तीय समीक्षा –

(i) आवंटन की स्थिति में – क्या आवंटन से अधिक की निकासी की गयी है – नहीं

(ii) अनुदान की स्थिति में – क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया है –
अनुदान प्राप्त था। जिसका पूर्ण विवरण परिशिष्ट ‘ख’ पर संलग्न है।

- (iii) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग को प्रेषित किया गया था – अंकेक्षण समापन तक उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है।
- (iv) रोकड़ पंजी में संवरण शेष के नकद राशि का भौतिक सत्यापन की स्थिति – भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।
- (v) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति – प्रखण्ड विकास कार्यालय बरवीघा के सामान्य रोकड़ पुस्त में वित्तीय वर्ष 10-11 एवं 11-12 के अन्त में क्रमशः दिनांक-31.3.11 एवं 31.3.12 का संवरण रोकड़ का विस्तृत विवरण अंकित नहीं की पाई गई। तथा इसके पूर्व में भी वर्ष के अन्त में संवरण रोकड़ का विस्तृत विवरण अंकित नहीं की गई थी। इससे संबंधित आपत्ति भी निर्गत की गई। परन्तु प्रखण्ड नाजीर के द्वारा दिनांक 31.3.12 के संवरण रोकड़ का विस्तृत विवरण अंकित नहीं किया गया। जो बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 305 (क) का उल्लंघन है। प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

अंकेक्षण दल के द्वारा विभिन्न बैंकों के पासबुक, चेक निर्गत पंजी, अग्रिम पंजी, अभिश्रव पंजी एवं अनपोस्टेड अभिश्रव पंजी के जॉचोपरान्त दिनांक-31.3.12 के संवरण रोकड़ का विस्तृत विवरण निकाला गया। जिसकी स्थिति निम्नवत् है।

दिनांक 31.3.12 को सामान्य रोकड़ पुस्त का वास्तविक संवरण रोकड़ रुपये 3,44,23,305.78 पाई गई।

संवरण रोकड़ रू0 3,44,23,305.78 का बैंकवार विवरण निम्नवत् है –

क्र०	बैंक का नाम	खाता सं०	राशि
(i)	पी०एन०बी० बरवीघा	110005741	35,123.00
(ii)	" " "	1001215445	2,12,276.00
(iii)	" " "	100116516	84,993.00
(iv)	" " "	100116941	61,809.00
(v)	" " "	110004405	18,354.00
(vi)	" " "	110005732	2,46,359.00
(vii)	" " "	110005909	1,51,482.00

(viii)	"	"	"	100120652	3,10,219.00
(ix)	"	"	"	110005723	50,411.00
(x)	"	"	"	10012581	1,79,424.00
(xi)	"	"	"	110036723	15,54,835.00
(xii)	"	"	"	110035645	37,37,299.00
(xiii)	"	"	"	110035654	1,05,45,282.00
(xiv)	"	"	"	110017199	38,28,885.00
(xv)	"	"	"	110017454	02,63,816.00
(xvi)	"	"	"	110017445	07,56,579.00
(xvii)	"	"	"	11,0017180	01,78,105.00
(xviii)	"	"	"	1100501165	64,430.00

2,22,79,691.00

(2)(i)	एस0बी0आई (बचत खाता) बरवीघा	11464128568	1,00,106.03
(ii)	" " " "	31037173346	1,52,177.00
(iii)	" " " "	11464128035	8,03,466.37
(iv)	" " " "	11464242918	19,65,986.71
(v)	" " " "	11464128159	2,67,484.37
(vi)	" " " "	11464127950	1,37,174.05
(vii)	" " " (चालु खाता)	11464128013	0,00,044.05
(viii)	" " " "	11464127279	29,782.60
(ix)	" " " "	11464128068	27,23,124.84

61,79,346.02

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बरवीघा

(i)	"	"	"	"	7084	3,46,964.00
(ii)	"	"	"	"	7268	27,873.00
(iii)	"	"	"	"	8002	1,02,339.00

(iv)	" "	" "	6130	47,986.00
(v)	" "	" "	7898	6,07,008.00
(vi)	" "	" "	6372	37,732.00
(vii)	" "	" "	648	6,18,368.70
(viii)	" "	" "	13027	3,97,788.00
(ix)	" "	" "	336	4,17,105.00
(x)	" "	" "	447	4,79,121.00
(xi)	" "	" "	444	93,830.00
(xii)	" "	" "	10708	13,653.00
(xiii)	" "	" "	759	66,535.50

32,56,303.20

बैंको में कुल

जमा राशि	—	3,17,15,340.22
अनपोस्टेड अभिश्रव	—	26,36,850.15
अग्रिम के रूप में	—	<u>30,81,138.82</u>

कुल — 3,74,33,329.19

संवरण शेष (—) — 3,44,23,305.78

30,10,023.41

इस प्रकार दिनांक 31.3.12 को संवरण रोकड़ से विभिन्न बैंको में रुपये 30,10,023.41 अधिक पायी गई।

बैंक में अधिक पाई गई राशि का समाधान इस प्रकार है :—

(i) सहायक रोकड़ पुस्त में

अप्रविष्ट सूद की राशि — 6,32,585.00

(ii)	बैंक द्वारा इन्दिरा आवास	—	6,30,000.00
	के बचत खाता में वापसी रकम		
(iii)	सहायक रोकड़ पुस्त में चेक द्वारा		
	व्यय परन्तु चेक पंजी में लंबित	—	68,000.00
(iv)	भुगतान हेतु लंबित चेको का विवरण शीर्षवार		
	इन्दिरा आवास चेक सं० — 970085	—	5,10,000.00
	चेक सं० — 970086	—	<u>75,000.00</u>
			19,15,585.00
	छात्रवृत्ति मद चेक सं०— 970110	—	55,412.00
	बी० आर० जी० एफ० 30% चेक सं० 793059	—	7,500.00
	चेक सं० 79306	—	7,500.00
	„ 793065	—	7500.00
	„ 79,3066	—	7,500.00
	793068	—	7,500.00
	793069	—	7,500.00
	793070	—	1,00,000.00
	793071	—	7500.00
	बारहवों वित्त आयोग चेंक सं०	—	322735 — 1,20,000.00
	„	—	322736 — 1,00,000.00
	„	—	322738 — 7,500.00
	2515 (102) सा० वि० चेक सं०	—	970136 — 36,926.00

प्रमुख/उपप्रमुख चेक सं०	—	445117	—	17,200.00
चेक सं०	—	445119	—	14,500.00
चेक सं०	—	445121	—	15,700.00
चेक सं०	—	445123	—	19,700.00
कन्या विवाह योजना अंतर्गत	—			4,75,000.00
लाभार्थी की सं०	—	95X5000		

कुल योग — 30,10,023.00

- (4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ग" पर अंकित है। जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि कार्यरत बल स्वीकृत बल के अन्तर्गत है। एवं प्रखण्ड कार्यालय के कार्य के समुचित संचालन हेतु रिक्तियों को भरा जाना आवश्यक है।

भाग — 2

- (5) कुल रू० —2,19,529.95 का गबन :—

- (क) रुपये 71,178.00 का गबन —

विधायक योजना से संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त के वित्तीय वर्ष 10-11 के जॉच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि योजना का कार्यपूर्ण होने के पश्चात् रायल्टी एवं बिक्री कर की राशि की कटौती की गई थी। कटौती की गई रायल्टी एवं बिक्री कर की राशि को संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में विभिन्न तिथियों को अंकित की पाई गई। चूंकि उक्त राशि अभिकर्ता को भुगतान नहीं कर कोषागार में जमा किया गया था। अतः उसे आय पक्ष में प्रविष्टी अपेक्षित था।

तत्पश्चात् ही कोषागार में जमा करते समय व्यय पक्ष में अंकित होगा। पुनः उपरोक्त योजना से प्राप्त रायल्टी एवं बिक्री कर की राशि को चेक सं० 445057 दिनांक—25.3.11 के द्वारा कोषागार में जमा कर दिनांक—29.3.11 को संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त में व्यय दिखलाया गया है। पूर्व में व्यय पक्ष में अंकित तिथि को आयपक्ष में अंकित नहीं किये जाने से संवरण शेष में बिना वृद्धि किये ही कोषागार में जमा के विरुद्ध पुनः व्यय पक्ष में अंकित

किया गया। फलस्वरूप कुल रू0 71,178.00 की संवरण शेष में कमी कर गबन किया गया। तदनुसार सामान्य रोकड़ पुस्त संधारित पाया गया। दिनांक-31.3.12 को संवरण शेष में भी अधिक नहीं पाई गई। इस तरह गबन सुनिश्चित होता है। रू0 71178 का पूर्ण विवरण निम्नवत् है।

योजना सं०	रायल्टी	बिक्री कर	स०रो०पु० में व्यय तिथि	कोषागार में जमा कर व्यय की अंकित तिथि
5/09-10	184.00	555.00	1.7.10	29.3.11
11/10-11	1563.00	5756.00	24.7.10	29.3.11
6/09-10	2789.00	9647.00	23.8.10	29.3.11
3/09-10	21,221.00	29463.00	15.11.10	29.3.11
	25,757.00	45,421.00		

कुल योग - 25,757 + 45421=71178

ज्ञातव्य हो कि दि०-31.3.12 के संवरण शेष का (इस अवधि का) बैंक समाधान विवरणी बनाने के पश्चात् यह राशि रू0 71178.00 बैंक एवं रोकड़ पुस्त से बाहर पाई गई।

(ख) प्रविष्ट अभिश्रव पंजी के योग में अधिक दिखाकर रुपये 65,601.95 का गबन -

प्रखण्ड विकास कार्यालय बखीघा के वित्तीय वर्ष 10-11 से 11-12 तक के अनपोस्टेड अभिश्रव पंजी के योग एवं संतुलन के जाँच क्रम में पाया गया कि दिनांक-1.4.10 का प्रारम्भण शेष 17,17,815.85 रुपये अंकित पाई गई। दिनांक 3.5.10 के अभिश्रव की राशि का योग 26,861.00 रुपये अंकित पाई गई। इस प्रकार दिनांक-3.5.10 के अनपोस्टेड अभिश्रव पंजी का वास्तविक कुल योग रुपये 17,44,676.85 होता है। परन्तु पंजी में दिनांक-3.5.10 का कुल योग 17,54,258.85 रुपये अंकित की पाई गई। इस प्रकार 9,582.00 रुपये अधिक अंकित पाई गई। पुनः दिनांक- 14.8.10 तक के अभिश्रव का दैनिक योग (वास्तविक) 52,251.05 रुपये होता है परन्तु अनपोस्टेड अभिश्रव पंजी में दिनांक-14.8.10 का योग 62,271.00 रुपये अंकित पाई गई। इस प्रकार 14.8.10 तक (62,271-52,251.05=10,019.95 रुपये अधिक अंकित पाई गई। पुनः दिनांक 15.4.11 का वास्तविक योग रुपये 29,151.00 रुपये ही होता है। परन्तु अभिश्रव पंजी में 30,151.00 रुपये अंकित पाई गई। इस प्रकार 1,000.00 रुपये अधिक अंकित की पाई गई। पुनः दिनांक 27.7.11 के अनपोस्टेड अभिश्रव पंजी का वास्तविक योग 24,16,237.15 रुपये होता है। परन्तु अभिश्रव

पंजी में दिनांक-27.7.11 को 24,61,237.15 अंकित पाई गई। इस प्रकार दिनांक 27.7.11 को $(24,61,237.15 - 24,16,237.15) = 45,000/-$ अधिक अंकित की पाई गई।

इस प्रकार अनपोस्टेड अभिश्रव पंजी में वास्तविक योग से अधिक रुपये 65,601.95 अंकित पाई गई। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

विवरण तिथि	अनपोस्टेड अभिश्रव पंजी में अंकित योग	वास्तविक योग	अन्तर
3.5.10	17,54,258.85	17,44,676.85	9582.00
14.8.10	62,271.00	52,251.05	10,019.95
15.4.11	30,151.00	29,151.00	1,000.00
27.7.11	24,61,237.15	24,16,237.15	45,000.00

65,601.95

इस प्रकार रू0 65,601.95 संवरण रोकड़ से बाहर रखा गया है। इससे रू0 65,601.95 के गबन की पुष्टि होती है। उल्लेखनीय है कि इस अवधि का बैंक समाधान विवरणी तैयार करने के पश्चात् यह राशि बैंक एवं रोकड़ पुस्त से बाहर पाई गई।

(ग) आय पक्ष में अंकित नहीं फलस्वरूप विवरण शेष में कमी कर रुपये 60,676.00 का गबन

बी0 आर0 जी0 एफ0 30% (पंचायत समिति) से संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त के वित्तीय वर्ष-10-11 के जॉच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि योजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् रायल्टी एवं बिक्री कर की राशि की कटौती की गई थी। इससे संबंधित पूर्ण विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "घ" पर संलग्न है। संलग्न विवरणी के अनुसार कटौती की गई रायल्टी एवं बिक्री कर की राशि को संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में विभिन्न तिथियों को अंकित की पाई गई चूँकि उक्त राशि अभिकर्ता को भुगतान नहीं कर कोषागार में जमा किया जाना था। उसे आय पक्ष में प्रविष्टी अपेक्षित था। तत्पश्चात् ही कोषागार में जमा करते समय व्यय पक्ष में अंकित होगा। पुनः उपरोक्त योजना से प्राप्त रायल्टी एवं बिक्री कर की राशियों को क्रमशः चालान संख्या-280 एवं 292 द्वारा दिनांक 30.3.11 को संबंधित शीर्ष में जमा कर व्यय दिखलाया गया है।

पूर्व में व्यय पक्ष में अंकित तिथि को आय पक्ष में अंकित नहीं किये जाने से संवरण शेष में बिना वृद्धि किये ही कोषागार में जमा के विरुद्ध पुनः व्यय पक्ष में अंकित किया

गया। फलस्वरूप कुल रुपये 60,676.00 की संवरण शेष में कमी कर गबन किया गया। तदुनसार सामान्य रोकड़ पुस्त में संधारित पाया गया। दिनांक-31.3.12 को संवरण शेष में भी राशि अधिक नहीं पाई गई। इस तरह गबन सुनिश्चित होता है।

(घ) रुपये 22,074.00 का आय पक्ष में अंकित नहीं कर गबन —

बी0 आर0 जी0 एफ0 30% (पंचायत समिति) एवं बारहवॉ वित्त आयोग से संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त वर्ष -10-11 के जॉच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि योजना पूर्ण होने के पश्चात् रायल्टी एवं बिक्री कर की राशि की कटौती की गई थी। उपरोक्त कटौती की गई रायल्टी एवं बिक्री की राशि को संबंधित सहायक रोकड़पुस्त के व्यय पक्ष में विभिन्न तिथियों को अंकित की पाई गई। परन्तु यद्यपि उक्त राशि योजना में हुए व्यय के विरुद्ध व्यय अंकित किया गया था, न कि अभिकर्ता को भुगतान किया गया था। ऐसी स्थिति में उक्त राशि आय पक्ष में अंकित की जानी चाहिए थी तथा कोषागार में जमा कर पुनः व्यय अंकित किया जाना चाहिए था। उपरोक्त स्थिति में कुल रू0 22,074.00 आय पक्ष में अंकित नहीं कर गबन किया गया। संवरण शेष के उक्त कमी के विरुद्ध 31.3.12 के संवरण शेष के (बैंक समाशोधन के पश्चात्) विरुद्ध जमा में भी वृद्धि नहीं पाई गई। रू0 22074.00 की पूर्ण विवरण निम्नवत है।

शीर्ष	योजना सं०	रायल्टी	बिक्री कर	स०रो० पुस्त में व्यय तिथि
बी०आर०जी०एफ० 30%	1/09-10	36.00	294.00	1.11.10
..	2/10-11	434.00	2736.00	1.07.10
..	8/10-11	114.00	2070.00	15.11.10
बार हवॉ वित्त आयोग योजना	1/09-10	—	229.00	17.6.10
	2/09-10	820.00	14094.00	24.9.10
	3/09-10	—	1247.00	7.7.10
		1404.00	20,670.00	

कुल योग - $1404 + 20670 = 22,074$ ज्ञातव्य हो कि बैंक समाधान विवरणी इस का तैयार करने के पश्चात पाया गया कि उपरोक्त राशि रु0 22,074.00 रोकड़ पुस्त एवं बैंक में नहीं पाई गई।

उपर्युक्त उप कंडिका "क" "ख" "ग" एवं "घ" में अंकित क्रमशः रु0 71,178.00+65601.95+60,676.00+22074.00 कुल रु0-2,19,529.95 के गबन के विरुद्ध प्रशासी विभाग का ध्यान विधि सम्मत/आवश्यक कारवाई हेतु आकृष्ट किया जाना है। प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाए।

(6) 15,000.00 रुपये का अस्थायी गबन : -

कब्रिस्तान की घेराबन्दी से संबंधित योजना सं0-2/10-11 एवं योजना सं0 3/10-11 के योजना अभिलेख के जॉच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि योजना अभिकर्ता श्री भोला राम पंचायत सचिव को चेक सं0-445031/14.2.11 एवं चेक सं0-445030/14.2.11 के द्वारा 7500/- रुपये की दर से कुल 15,000/- रुपये का भुगतान दिखाया गया है। एस0 बी0 आई0 बरवीघा के चालू खाता सं0-11464128068 से दिनांक-15/2/11 को कुल 15000/- रुपये की निकासी की गई है। योजना अभिलेख में योजना में किसी भी प्रकार का कोई भी काम किये जाने का प्रमाण नहीं है। भोला राम पंचायत सचिव द्वारा नाजीर रसीद सं0-737521 दिनांक-12/7/12 से कुल 15,000/- रुपये प्रखण्ड नजारत में जमा कर दिया गया। प्रखण्ड नाजीर के द्वारा उक्त राशि रु0 15,000/- की प्रतिष्ठी संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में अंकित नहीं की गई। अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में प्रखण्ड नाजीर द्वारा रु0 15,000/- पी0 एन0 बी0 खाता सं0 110017445 में दिनांक-22/7/14 को जमा किया गया। अर्थात् दिनांक-15.2.11 से 11/7/12 तक श्री भोला राम पंचायत सचिव के पास एवं दिनांक 12/7/12 से 21/7/14 तक प्रखण्ड नाजीर द्वारा 15,000/- रुपये कार्यालय के संवरण रोकड़ से बाहर रखा पाया गया। जो स्पष्टतः तात्कालिक/अस्थायी गबन को सुनिश्चित करता है।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान विशेष रूप से उपर्युक्त तात्कालिक/अस्थायी गबन की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु आकृष्ट किया जाता है, ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(7) रुपये 9,834.00 की फर्जी भुगतान आवश्यक कारवाई सहित, वसूली योग्य :-

बी० आर० जी० एफ० 30% (पंचायत समिति) से संबंधित योजना सं०-11/10-11 (ग्राम सरैया बाबा धाम के निकट पुलिया निर्माण) के जॉच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि योजना अभिकर्ता श्री इन्द्रसेन पासवान पंचायत सचिव को विभिन्न तिथियों को चेक द्वारा कुल 27,214/- रुपये का भुगतान किया गया है। योजना से संबंधित मजदूरों के मास्टर रॉल के जॉच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि दिनांक-4/2/11 को 4542 रुपये, दिनांक 10/2/11 को 1644 रुपये एवं दिनांक-6/3/11 को 3648 रुपये अर्थात् कुल (4542+1644+3648)=9834 रुपये का मास्टर रॉल संलग्न है। उक्त तिथियों के मास्टर रॉल में किसी भी मजदूर का नाम एवं पता अंकित नहीं पाया गया, साथ ही मजदूरी भुगतान पाने वाले का पावती हस्ताक्षर अथवा अंगुठे का निशान भी अंकित नहीं पाया गया अर्थात् पुरा मास्टर रॉल रिक्त पाया गया। मास्टर रॉल रिक्त रहने के बावजूद भी तत्कालीन पदाधिकारी एवं योजना सहायक का हस्ताक्षर अंकित पाया गया। ऐसी परिस्थिति में मजदूरी मद में रुपये 9,834.00 का फर्जी भुगतान किया गया है।

अतः फर्जी भुगतान राशि रुपये 9,834.00 संबंधित दोषी व्यक्ति से वसूल करते हुए तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदा० एवं योजना सहायक के विरुद्ध आवश्यक एवं उचित विधि सम्मत कारवाई की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(8) अस्थायी अग्रिम की राशि रू० 20,63,500.00 असमायोजित -

अस्थायी अग्रिम पंजी के जॉच क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष -10-11 से 11-12 तक विभिन्न कार्यों हेतु अस्थायी अग्रिम की राशि का भुगतान विभिन्न व्यक्तियों को किया पाया गया जिसमें से रू० 20,63,500.00 का समायोजन अंकेक्षण अवधि तक नहीं पाया गया जो कोषागार संहिता 2011 खण्ड-1 के नियम 317 एवं 318 के सर्वथा प्रतिकूल है। ज्ञातव्य है कि इनमें से कतिपया कर्मचारियों का यहाँ से स्थानान्तरण भी हो चुका था। निर्गत आपत्ति सं० 10/18.7.14 के अनुपालन में कार्यालय द्वारा अग्रिम की राशि जमा करने हेतु नोटिस निर्गत किये जाने को संसूचित किया गया फलतः अंकेक्षण समाप्ति तक अग्रिम का समायोजन लंबित पाया गया।

असमायोजित अस्थायी अग्रिम की राशि रुपये 20,63,500.00 से संबद्ध विवरणी परिशिष्ट "ड" पर उल्लिखित है। अतः उपर्युक्त असमायोजित अग्रिम के समायोजन वसूली

हेतु उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है। प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को भी अवगत कराया जाय।

(8) रुपये 27,153.00 वसूली योग्य :-

बरहवाँ वित्त आयोग से संबंधित योजना संख्या-1/10-11 के योजना अभिलेख के जॉच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि योजना अभिकर्ता श्री परशुराम सिंह पंचायत सचिव को चेक सं० 322721/ दिनांक-17.4.10 द्वारा 7500 एवं चेक सं० 322733 दिनांक 24.5.10 द्वारा 19,653/रुपये अर्थात् कुल 27,153.00 रुपये का भुगतान दिखलाया गया है। योजना अभिलेख में अभिश्रव मास्टर रॉल एवं मापी पुस्त संलग्न नहीं पाई गई। योजना अभिलेख में कार्य किये जाने का कोई भी प्रमाण अंकित नहीं पाया गया। इस प्रकार योजना में कार्य किये जाने की पुष्टि नहीं होती है। चूंकि वर्ष 2010 में अग्रिम दिया गया था।

अतः वर्ष 2014 तक कार्य नहीं होना स्पष्टतः सरकारी राशि का दुरुपयोग कहा जा सकता है।

अतः योजना अभिकर्ता से अग्रिम भुगतान की गई कुल राशि रुपये 27153.00 संबंधित दोषी व्यक्ति से अन्य कारवाई सहित वसूल कर उचित शीर्ष में जमा करायी जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय। विवरण निम्न प्रकार है -

योजना सं०	योजना का नाम	प्रा० राशि	अभिकर्ता का नाम	चेक सं० तिथि	भुगतान राशि
1/10-11	पॉच चापाकल निर्माण	68500/-	परशुराम सिंह पं० सं०	322721	7500.00
				17.4.10	
				322733	19653.00
				24.5.10	

27,153.00

(9) रू० 18,000.00 वसूली योग्य :-

प्रखण्ड विकास कार्यालय बरवीघा को प्राप्त विभिन्न कर्मचारियों के अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र के जॉच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि शेखोपुरसराय के झापांक 114 दिनांक 20.2.10 द्वारा निर्गत श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, पंचायत सचिव के अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र में कुल 18,000.00 रुपये वसूल किया जाना था। परन्तु संबंधित पंचायत सचिव

द्वारा उक्त राशि जमा नहीं की गई थी। निर्गत आपत्ति सं० 23/20.8.14 के अनुपालन में बताया गया कि कार्यालय द्वारा वसूली हेतु संबंधित व्यक्ति को नोटिस निर्गत किया गया है।

अतः संबंधित दोषी व्यक्ति से रुपये 18000.00 वसूल कर उचित शीर्ष में जमा करायी जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(10) रुपये 5000.00 आपत्तिअन्तर्गत –

शीर्ष 2015 (निर्वाचन) के वित्तीय वर्ष 2010-11 के बरवीघा बिधान सभा क्षेत्र के बी० एल० ओ० मानदेय के भुगतान से संबंधित अभिश्रवों के जॉच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि कुल 80 बी० एल० ओ० को 2500/-रुपये की दर से कुल रुपये 2,00,000/- का भुगतान दिनांक-24/1/11 को किया पाया गया। भुगतित अभिश्रव के जॉच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि क्रम सं०-44 पर राम स्वारथ सिंह एवं क्रम सं०-80 पर बिनोद कुमार का नाम अंकित की पाई गई। परन्तु उपरोक्त दोनों बी०एल०ओ० का पावती हस्ताक्षर अभिश्रव में नहीं पाया गया। इस प्रकार भुगतान की पुष्टि नहीं होती है। इसके बाद भी शीर्ष 2015 (निर्वाचन) से संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त में उपरोक्त दोनो बी०एल०ओ० को 2500/-रुपये की दर से कुल 5000/- रुपये का व्यय दिखाया गया है।

अतः प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर के बिना व्यय अंकित राशि रुपये 5000.00 के वास्तविक की जॉच प्रशासी विभाग द्वारा कर तदनुसार कारवाई को सुझाव दिया जाता है। प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय। विपरित परिस्थिति में दोषी व्यक्ति से राशि वसूली सहित इस हेतु विभागीय कारवाई भी अपेक्षित होगी।

(11) नाजीर रसीद से प्राप्त राशि रू० 2,28,250.00 कोषागार में जमा नहीं कर व्यय किया जाना आपत्तिअन्तर्गत –

सहायक रोकड़ पुस्त शीर्ष पंचायत निर्वाचन वर्ष 10-11 के आय एवं व्यय पक्ष के जॉच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि पंचायत निर्वाचन 2011 के अवसर पर चुनाव लड़ रहे अभ्यर्थियों से जमानत के राशि के रूप में विभिन्न तिथियों को नाजीर रसीद से कुल 2,28,250.00 रुपये वसूली की गई थी। परन्तु आज तक उक्त राशि को कोषागार में जमा नहीं किया पाया गया। इस प्राप्त राशि से दिनांक 23.7.11 को कुल 2,28,250.00 रुपये

व्यय की गई है। नियमानुसार नाजीर रसीद से प्राप्त राशि को कोषागार में जमा की जानी चाहिए इस प्रकार उक्त राशि की व्यय अनियमित है।

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि सर्वप्रथम रुपये 2,28,250.00 कोषागार में जमा की जाय। अनियमित व्यय की गई राशि की जाँच सक्षम पदाधिकारी द्वारा करा ली जाय तथा नियमानुसार नियमित किया जाए। प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराया जाय तबतक दर्शित व्यय की राशि रु0 2,28,250.00 को आपत्ति अन्तर्गत रखा जाता है।

(12) रुपये 80,000.00 वाहन ईंधन पर दर्शित व्यय आपत्ति अन्तर्गत।

शीर्ष 2515 (102) सा0 वि0 से संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त वर्ष 11-12 के जाँच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि विपत्र संख्या-86/11-12 द्वारा 80,665.00 की निकासी की गई थी एवं दिनांक-31.3.12 को रुपये 80,000.00 का व्यय दिखाया गया है। परन्तु इससे संबंधित अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे संबंधित गाड़ी सं0 BR-52-7979 का लॉग बुक भी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। फलतः वाहन ईंधन पर व्यय की गई राशि रु0 80,000.00 की अभिश्रव एवं लौगबुक के अभाव में सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।

अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि व्यय राशि रु0 80,000.00 के भुगतान की जाँच विभागीय स्तर पर किया जाय तबतक राशि को आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है। तथा प्रतिफल की सूचना वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी दी जाय।

(13) रु0 47,721.39 के बिक्री कर (मूल्य वर्धित दर) के रूप में राजस्व क्षति :-

अंकेक्षणाधीन लेखा वर्ष से संबंधित प्रस्तुत योजना अभिलेखों एवं योजना कार्य में दर्शित एवं प्रयुक्त सामग्रियों पर देय बिक्री कर (मूल्य वर्धित दर) को श्रोत पर वांछित अनिवार्य कटौती के जाँच क्रम में कतिपय प्रयुक्त दर्शित सामग्रियों के लिए वैट के विनिर्दिष्ट दर से कम या कोई कटौती श्रोत पर नहीं पाया गया। फलतः श्रोत पर कटौती योग्य बिक्री कर (मूल्य वर्धित दर) की राशि रुपये 47,721.39 का राजस्व क्षति सुनिश्चित पाया गया। जो बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 41 सह पठित वित्त (वाणिज्य) कर विभागीय पत्रांक 524 दिनांक 13.2.06 में निहित निर्देश के सर्वथा प्रतिकूल है साथ ही उपर्युक्त अधिनियम की धारा 41 (6) में उक्त राजस्व क्षति की पूर्ति हेतु विहित

प्रावधान अंकित है। तदुनरूप दोषी एवं जिम्मेवार व्यक्ति पर आवश्यक कार्रवाई अपेक्षित है।
वैट की कम कटौती किये जाने से संबंधित विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट "च" पर अंकित एवं द्रष्टव्य है।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि बिक्री कर के रूप में राजस्व क्षति की राशि रु0 47,721.39 की पूर्ति संबंधित दोषी एवं जिम्मेवार व्यक्ति से सुनिश्चित करायी जाय तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(14) रुपये 10,33,575.68 निष्प्रयोजन पड़ी राशि कोषागार में जमा वापसी योग्य :-

प्रखण्ड विकास कार्यालय बरवीघा में कई मदों की राशियाँ रोकड़ पुस्त में लंबे समय से बिना व्यय की पड़ी थी। तथा आगे व्यय की कोई आवश्यकता नहीं थी। कुछ ऐसी भी राशियाँ थी, जिससे संबंधित कार्य या कार्यक्रम सरकार द्वारा नहीं चलाया जा रहा है अथवा प्रखण्ड द्वारा उनके व्यय की आवश्यकता नहीं थी। ऐसी 12 रोकड़ वही में दिनांक 1/1/10 से पूर्व लेन देन किया गया था। इस प्रकार 10,33,575.68 रुपये की निधि का अवरोधन 3 वर्ष से अधिक समय से किया गया था। अतएव उन्हें कोषागार में जमा करने अथवा संबंधित विभाग को वापस करने की आवश्यकता थी, किन्तु ऐसा नहीं किया गया था, विभागीय कोष में राशि जमा बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 176 एवं बिहार बजट मैनुअल के नियम 107 (3) के विपरीत है। बिना व्यय की पड़ी वैसी राशियों का ब्यौरा निम्नवत है -

क्र०	शीर्ष का नाम	राशि	रोकड़ पुस्त में अन्तिम लेन देन की तिथि
1.	2236 पौ० आहार	10,000.00	16.5.03
2.	सधन रोजगार योजना	42,705.00	16.5.03
3.	आलू प्याज अनुदान	4,14,967.00	7.3.10
4.	प्रधानमंत्री ग्राम आवास	16,821.00	4.5.06
5.	सम्पूर्ण ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना	621.00	16.5.03
6.	2245 सहाय	84784.00	16.5.03
7.	306 लघु सिंचाई	15,465.68	16.5.03
8.	प्रधानमंत्री ग्रामोदय आवास	2,52,554.00	24.6.08

9.	2230 श्रम एवं रोजगार	141.00	31.3.05
10.	सम्पूर्ण ग्रामीण रो० योजना (20% जिला परिषद)	1,64,361.00	05.1.09
11.	अष्टम वित्त आयोग	38.00	16.5.03
12.	दशम वित्त आयोग	31118.00	07.02.07

योग — 10,33,575.68

उपरोक्त रू० 10,33,575.68 की राशि को कोषागार में जमा कर अथवा स्वीकृति दाता पदा० को वापस कर उपरोक्त नियम का पालन किया जाय तथा कार्रवाई से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को अवगत कराया जाय।

- (15) सूद की राशि रू० 9,56,721.00 संबंधित शीर्ष में अंकित नहीं किया जाना अंकित करने का सुझाव :-

प्रखण्ड विकास कार्यालय, बरवीघा में संचालित विभिन्न बैंक के बचत खाता में प्राप्त सूद की राशि के जॉच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि वर्ष 10-11 से 11-12 तक कुल 9,56,721.00 रुपये की प्राप्ति हुई थी। जिसका पूर्ण विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "छ" पर संलग्न है। परन्तु सूद की राशि उचित शीर्ष में पूर्णतः अंकित नहीं किया पाया गया। संबंधित सहायक रोकड़ पुस्तो में सूद की राशि अंकित किया जाना सुनिश्चित कराया जाय।

अतः उपरोक्त संचित सूद की राशि रू० 9,56,721.00 उचित शीर्ष में अंकित की जाय एवं प्रतिफल से प्रशासी विभाग एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

- (16) रायल्टी एवं बिक्री कर से प्राप्त राशि रू० 54,345.00 कोषागार में जमा करने योग्य —

बी० आर० जी० एफ० 20% (जिला परिषद) से संबंधित योजना अभिलेखों के जॉच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 10-11 से 11-12 तक में पूर्ण की योजनाओं में रायल्टी एवं बिक्री कर की कटौती से कुल 54,345.00 रुपये की प्राप्ति हुई थी। प्राप्त राशि रुपये 54,345.00 आज तक संबंधित उचित शीर्ष में जमा नहीं की गई थी। इससे संबंधित पूर्ण विवरण प्रतिवेदन के परिशिष्ट "ज" पर अंकित है।

अतः उपरोक्त रायल्टी एवं बिक्री कर की राशि रुपये 54,345.00 कोषागार के उचित जमा शीर्ष में जमा करायी जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अं०) विभाग, बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(17) रू० 2,62,790.00 का विचलन :-

आलू प्याज अनुदान से संबंधित सहायक रोकड़ पुस्त वर्ष 10-11 से 11-12 तक के आय एवं व्यय पक्ष के जॉच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि दिनांक 18/8/10 को प्रारम्भण रोकड़ शून्य अंकित की पाई गई। दिनांक-18.8.10 से 15.7.11 के बीच कुल रुपये 4,11,110.00 नाजीर रसीद से अनुदान राशि की वापसी से तथा 3857 रुपया सूद के रूप में प्राप्त हुआ था। इस प्रकार 31.3.12 को संवरण रोकड़ रुपये 4,14,967.00 अंकित की पाई गई। आलू प्याज अनुदान से संबंधित राशि को एस० बी० आई० बरवीघा के बचत खाता सं० 31037173346 में रखा गया था। उक्त बैंक पासबुक के अनुसार दिनांक 31.3.12 का अंतशेष रू० 1,52,177.00 अंकित की पाई गई। इस प्रकार (4,14,967-1,52,177) 2,62,790.00 का विचलन कर अन्य मद में व्यय किया गया था। निर्गत आपत्ति सं०-19/7.8.14 के अनुपालन में कहा गया है कि दिनांक 1/1/2011 को चार पंचायत सचिवों से नाजीर रसीद से प्राप्त कुल राशि रू० 2,62,790.00 तत्कालीन प्रखण्ड नाजीर द्वारा बैंक में जमा नहीं की गई है। एवं संवरण शेष नकद राशि के रूप में भी अंकित नहीं है।

अतः प्रशासी विभाग का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है कि विचलन की गई राशि रुपये 2,62,790/-का आवंटन प्राप्त कर सामजन हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय एवं प्रतिफल से वित्त (अं०) विभाग बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

(18) रू० 26,36,850.15 अनपोस्टेड अभिश्रव के रूप में किया गया अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय नियमित करने का सुझाव :-

प्रखण्ड विकास कार्यालय बरवीघा के अनपोस्टेड अभिश्रव पंजी वर्ष 10-11 से 11-12 के जॉच एवं सत्यापन क्रम में पाया गया कि वर्ष बार अनपोस्टेड अभिश्रव के रूप में राशि निम्न प्रकार है :-

1.4.10 के पूर्व	—	17,17,815.85
1.4.10 से 31.3.11 के बीच	—	1,83,585.00

1.4.11 से 31.3.12 तक — 7,35,449.30

26,36,850.15

अनपोस्टेड अभिश्रव के रूप में किया गया व्यय अनाधिकृत एवं अनियमित तरीके से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा बिना किसी आवंटन एवं बिना सक्षम पदाधिकारी के स्वीकृति के किया गया व्यय है जो आवंटन के बदले शेष बची राशि को बिना किसी सक्षम पदा० के पूर्व स्वीकृति के दूसरे मद में व्यय कर इसकी प्रविष्टी रोकड़ पुस्त में न कर इसे अनपोस्टेड अभिश्रव के रूप में ही संवरण शेष में दिखाया जाता है।

अतः प्रशासी विभाग रू० 26,36,850.15 के अनाधिकृत एवं अनियमित व्यय की जाँच एवं समीक्षा विभागीय स्तर से करके तथा इसके सामंजन हेतु आवश्यक कार्रवाई की आवश्यकता पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। साथ ही इस प्रकार के अनधिकृत एवं अनियमित व्यय पर रोक हेतु विभागीय स्तर से कार्रवाई आवश्यक है। तथा प्रतिफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी अवगत कराया जाय।

भाग — 3 सुझावात्मक

(19) अंकेक्षण के दृष्टान्त पर वसूली गयी कुल राशि में जमा करने का सुझाव :-

अंकेक्षण के दृष्टान्त पर कुल 1,23,332.00 रुपये वसूल की गई। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

(i) छात्रवृत्ति मद में वसूल की गई राशि —

नाजीर रसीद सं०— 737549 — 14,890.00

6.8.14

नाजीर रसीद सं० — 737550 — 11,262.00

7.8.14

“ “ “ 478180 — 5,632.00

9.9.14

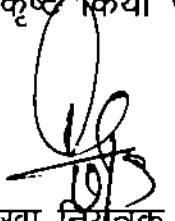
"	"	"	<u>478110</u>	—	17,022.00
			9.9.14		
(ii)	डीजल अनुदान	—	<u>737550</u>	—	5001.00
			7.8.14		
(iii)	पंचायत सचिव से प्राप्त	—	<u>478112</u>	—	7,500.00
			10.9.14		
(iv)	रायल्टी एवं बिक्री कर चालान	—	<u>3843</u>	—	15,900.00
	(विधायक योजना)		6.9.14		
(v)	रायल्टी एवं बिक्री कर चालान	—	<u>38,39,4142</u>	—	46,125.00
	(BRGF-30%)		6.9.14		
			<u>कुल</u>	—	<u>1,23,332.00</u>

अतः अंकेक्षण का सुझाव है कि नाजीर रसीद से वसूली गई कुल राशि रुपये 61,307.00 को कोषागार के संबंधित उचित शीर्ष में जमा करायी जाय।

(20) अंकेक्षक का संक्षिप्त मंतव्य —

- (i) योजना अभिलेख के साथ संलग्न सामग्री के अभिश्रव सादा कागज पर था। जबकि आर्पूकर्ता से छपे हुए फारमेट में उन पर मुद्रित क्रम संख्या एवं निबंधन संख्या सहित अभिश्रव ही स्वीकार किया जाना चाहिए था, ताकि सरकारी राजस्व की चोरी रोकी जा सके। भविष्य में इसे दृढ़ता से पालन कराने की ओर विभाग के उच्चाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।
- (ii) अंकेक्षित अवधि में कभी भी भंडार का भौतिक सत्यापन नहीं किया पाया गया। बिहार वित्तीय नियमावली भाग के नियम 305 (क) के अनुसार प्रत्येक वर्ष के भण्डार का भौतिक सत्यापन किया जाना चाहिए।

- (iii) विभिन्न शीर्षों में प्राप्त सूद की राशि का अलग सहायक रोकड़ पुस्त में संधारण किया जाय।
- (iv) डीजल अनुदान से संबंधित अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया है। इस ओर विभागीय उच्चाधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।



उप लेखा नियंत्रक
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्ता का नाम एवं पदनाम--

1. मो० ओबैदुल्लाह जावेद, व०अ०-2

परिशिष्ट - "क" कंडिका 1 'ट' से सम्बन्धित।

अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

(क) अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख :-

(i) विपत्र पंजी — वर्ष 2010-11 से 2011-12

(ii) सामान्य रोकड़ पुस्त — वर्ष 2010-11 से 2011-12

(iii) सहायक रोकड़ पुस्त — 2515 (101), 2515 (102), 2053 राजभाषा

2235 सा सु० दे० 2225 कल्याण 2505 एन०आर०डी०पी०, 2515 निर्वाचन विधायक/पार्षद/सांसद प्रमुख/उपप्रमुख, इन्दिरा सामान्य प्रधानमंत्री ग्राम आवास स्वर्ण जयन्ती ग्रा० स्व० पो० 12 वॉ वित्त आयोग, बी०आर० जी०एफ० 30% पंचायत समिति बी०आर०जी०एफ० 20% जिला परिषद कब्रिस्तान घेराबन्दी, 2230 श्रमरोजगार, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार 30% एवं 20% सघन रोजगार योजना, 2405 डीजल अनुदान 2245 सध्य, अष्टम वित्त आयोग 2236 पौष्टिक आहार, 2234 जनगणना प्रोत्साहन भत्ता मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना स्थायी अग्रिम 2215 आई०आर०डी०पी० विविध सस्पेंस लेखा, बायो गैस, पंचायत आर्थिक गणना, पंचायत भवन निर्माण, पंचायत युवा क्रीडा मंच 3456 आपूर्ति, 306 लघु सिचाई, स्वास्थ्य केन्द्र/उपकेन्द्र सूचना के अधिकार

(iv) वेतन भुगतान पंजी

(v) अभिश्रव पंजी

(vi) चेक निर्गत पंजी

(vii) रेमिटेंस रजीस्टर

(ix) बैंक पासबुक

(x) नाजीर रसीद

(xi) योजना पंजी — सांसद/विधायक/पार्षद, बी०आर०जी०एफ० 20% एवं 30% 12वॉ वित्त आयोग, इन्दिरा आवास, कब्रिस्तान घेराबन्दी।

(xii) भुगतान अभिश्रव – छात्रवृत्ति डीजल अनुदान वितरण

(xiii) यात्रा भत्ता भुगतान पंजी

(xiv) यात्रा भत्ता कार्यालय प्रति

(ख) अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :-

(i) जीप लॉगबुक गाड़ी सं० – बी०आर०- 52 -7979

(ii) आवंटन से सम्बन्धित पत्र

(iii) सेवा पुस्त

(iv) शीर्ष 2515 (102) से सम्बद्ध वाहन ईंधन अभिश्रव वर्ष 11-12

(v) महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदन

(vi) पूर्व के वित्त (अंकेक्षण) विभाग का प्रतिवेदन

(vii) डेडस्टॉक पंजी

परिशिष्ट - "ग" कंडिका - 4 से सम्बन्धित।

प्रखण्ड विकास कार्यालय, बरबीघा अन्तर्गत स्वीकृत एवं कार्यरत बल एवं रिक्ति की सूची।

क्र०	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त	शीर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	प्रखण्ड विकास पदा०	1	1	X	2515 (102) स
2.	प्रखण्ड कृषि पदा०	1	1	X	" "
3.	प्रखण्ड पशु० पदा०	1	1	X	" "
4.	प्रखण्ड साख्खिकी पर्यवे०	1	1	X	" "
5.	पंचायत पर्यवेक्षक	1	X	1	" "
6.	कनीय अभियन्ता	1	X	1	" "
7.	प्र०सा०प्र० पदा०	1	X	1	" "
8.	प्र० महि० प्रसार पदा०	1	X	1	" "
9.	प्रधान सहायक	1	X	1	" "
10.	सहायक	2	1	1	" "
11.	जीपचालक	1	X	1	" "
12.	अनुसेवक	1	X	1	" "
13.	झाडुकश	1	X	1	" "
14.	जनसेवक	10	X	10	" "
15.	कनीय अभियन्ता	1	X	1	2505 H.R.F.P
16.	अनुसेवक	1	X	1	" "
17.	उ०प्र० लिपिक	1	X	1	2235 सा०सु०
18.	सहायक उर्दू अनुपादक	1	1	X	2053 राजभाषा
19.	उर्दू टंकक	1	1	X	" "
20.	पंचायत सेवक	10	7	3	2515 (101)

परिशिष्ट – “ख” कंडिका (भाग-1) 2 (iv) से सम्बन्धित।

आवंटन एवं व्यय विवरणी (वर्ष-2010-11)

शीर्ष -2515 (102) समु0 वि0

क्र0	ईकाई	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि	अधिक व्यय	प्रत्यापर्तित	अभ्युक्ति
1.	वेतन	2600000.00	1641272.00	958728.00	X	958728.00	पत्रांक – 439 दिनांक-30.3.11 द्वारा प्रत्यावर्तित
2.	मैहगाई भत्ता	910000.00	594445.00	315555.00	X	315555.00	
3.	मकान भाड़ा भत्ता	360000.00	76829.00	283171.00	X	283171.00	
4.	चिकित्सा भत्ता	48200.00	15174.00	33026.00	X	33026.00	
5.	अन्य भत्ता	7,00,00	—	7000	X	7,00,00.00	
6.	यात्रा व्यय	23000.00	4600.00	18400.00	X	18400.00	
7.	कार्यालय व्यय	84000.00	83985.00	15.00	X	15.00	
8.	वाहन	79000.00	78881.00	119.00	X	119.00	
9.	दूरभाष	13000.00	X	13000.00	X	13000.00	
10.	वर्दी	3700.00	X	3700.00	X	3700.00	
11.	विद्युत	9000.00	9000.00		X		
12.	किराय एवं कर	9000.00	X	9000.00	X	9000.00	
13.	पारिश्रमिक	180000.00	172500	7500.00	X	7500.00	
	कुल —	4325900.00	2676686.00	1649214.00		164924.00	

आवंटन एवं व्यय विवरणी – वर्ष 2011-12

शीर्ष –2515 (102) समु० वि०

क्र०	ईकाई	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि	अधिक व्यय	प्रत्यापित	अभ्युक्ति
1.	वेतन	1838389.00	220121.00	1618268.00	X	16,18,268.00	पत्रांक – 417 / दिनांक-31.3.12 द्वारा प्रत्यापित
2.	मैहगाई भत्ता	878681.00	112572.00	766109.00	X	7,66,109.00	
3.	आवास भत्ता	301012.00	7516.00	293496.00	X	2,93,496.00	
4.	चिकित्सा भत्ता	37460.00	2883.00	34577.00	X	34,577.00	
5.	अन्य भत्ता	10303.00	X	10303.00	X	10,303.00	
6.	यात्रा व्यय	22074.00	4400.00	17674.00	X	17,674.00	
7.	कार्यालय व्यय	109026.00	X	109026.00	X	1,09,026.00	
8.	वाहन एवं रख-रखाव	104374.00	80665.00	23709.00	X	23,709.00	
9.	दूरभाष	9370.00	X	9370.00	X	9,370.00	
10.	बर्दी	3999.00	X	3999.00	X	3,999.00	
11.	विद्युत	12044.00	12044.00	X	X	–	
12.	किराय एवं महसूल	3999.00	X	3999.00	X	3999.00	
13.	पारिश्रमिक	270000.00	269297.00	703.00	X	703.00	
	कुल –	3600731.00	7,09,498.00	28,91,233.00	X	28,91,233.00	

शीर्ष 2515 (101) पंचायत आवंटन एवं व्यय विवरणी (वर्ष 2010-11)

क्र०	ईकाई	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष राशि	अधिक व्यय	प्रत्यापर्तित	अभ्युक्ति
1.	वेतन	714626.00	651260.00	63366.00	X	63366.00	पत्रांक - 417 / दिनांक-31.3.12 द्वारा प्रत्यापित
2.	मँहगाई भत्ता	325125.00	209807.00	115318.00	X	115318.00	
3.	मकान भाड़ा	41875.00	33920.00	7955.00	X	7955.00	
4.	चि० भत्ता	7375.00	11800.00	—	4425.00	—	

(वर्ष - 2011-12)

1.	वेतन	1230603.00	1191011.00	39592.00	X	39592.00	पत्रांक 446 / 31.3.12
2.	मँहगाई भत्ता	590726.00	555487.00	35239.00	X	35239.00	
3.	मकान भाड़ा	62123.00	59196.00	2927.00	X	2927.00	
4.	चिकित्सा भत्ता	22000.00	22864.00	—	864.00	—	

शीर्ष 2235 सा० सु० (वर्ष -2010-11) आवंटन एवं व्यय विवरणी।

क्र०	ईकाई	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष	अधिक व्यय	प्रत्यापर्तित	अभ्युक्ति
1.	वेतन	182820.00	172500.00	10320.00	—	10320.00	पत्रांक - 414 / दिनांक-24.3.11
2.	मँहगाई भत्ता	82269.00	72824.00	9445.00	—	9445.00	

3.	आवास भत्ता	13712.00	12692.00	1020.00	—	1020.00	
4.	चि० भत्ता	2400.00	2400.00	—	—	—	

(वर्ष — 2011-12)

1.	वेतन	169840.00	102083.00	67757.00	—	67757.00	पत्रांक — 404 / दिनांक—26.3.12
2.	मँहगाई भत्ता	84920.00	45720.00	39200.00	—	39200.00	
3.	आवास भत्ता	13200.00	6472.00	6728.00	—	6728.00	
4.	चि० भत्ता	2000.00	1200.00	800.00	—	800.00	
5.	यात्रा भत्ता	2000.00	X	2000.00	—	2000.00	

शीर्ष 2053 सा० सु० (वर्ष —2010-11) आवंटन एवं व्यय विवरणी।

क्र०	ईकाई	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष	अधिक व्यय	प्रत्यापनित	अभ्युक्ति
1.	वेतन	274000.00	293640.00		19640.00		पत्रांक — 440 / 30.3. 11
2.	मँहगाई भत्ता	131000.00	119661.00	11339.00	—	11339.00	
3.	आवास भत्ता	23000.00	14562.00	8438.00	—	8438.00	
4.	चि० भत्ता	4500.00	3684.00	816.00	—	816.00	
5.	यात्रा भत्ता	500.00	—	500.00	—	500.00	
6.	कार्यालय व्यय	500.00	—	500.00	—	500.00	
7.	वि० से० अदा०	1000.00	—	1000.00	—	1000.00	

शीर्ष 2053 राजभाषा आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष -2011-12

क्र0	ईकाई	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष	अधिक व्यय	प्रत्यार्जित	अभ्युक्ति
1.	वेतन	395000.00	452357.00		57357.00		पत्रांक - 403 / 31.3. 12
2.	महँगाई भत्ता	220000.00	232393.00		12393.00		
3.	मकान भत्ता	120000.00	5600.00	114400.00		114400.00	
4.	चिकित्सा भत्ता	3500.00	15896.00		12396.00		
5.	यात्रा भत्ता	750.00	—	750.00	—	750.00	
6.	कार्यालय व्यय	750.00	—	750.00	—	750.00	
7.	विशेष सेवाएँ	2500.00	—	2500.00	—	2500.00	

शीर्ष 2505 एन0आर0ई0पी0 आवंटन एवं व्यय विवरणी वर्ष -2010-11

क्र0	ईकाई	प्राप्त आवंटन	कुल व्यय	अवशेष	अधिक व्यय	प्रत्यार्जित	अभ्युक्ति
1.	वेतन	107000.00	98772.00	8228.00	—	8228.00	पत्रांक - 428 / 28.3. 11
2.	महँगाई भत्ता	49300.00	40605.00	8695.00	—	8695.00	
3.	अन्य भत्ता	10400.00	9367.00	1033.00	—	1033.00	
4.	कार्यालय व्यय	5000.00	—	5000.00	—	5000.00	
5.	यात्रा भत्ता	4000.00	800.00	3200.00	—	3200.00	
6.	वर्दी	2000.00	1680.00	320.00	—	320.00	

(वर्ष - 2011-12)

1.	वेतन	206000.00	196907.00	9093.00	—	9093.00	ज्ञापांक-381 / 21.3.12
2.	यात्रा भत्ता	5000.00	—	5000.00	—	5000.00	
3.	कार्यालय व्यय	5000.00	—	5000.00	—	5000.00	

परिशिष्ट - "ख" भाग-I के कंडिका -2 (iv) से सम्बन्धित।

आय एवं व्यय विवरणी

क्र० सं०	शीर्ष का नाम	वित्तीय वर्ष	पूर्व अवशेष	प्राप्त राशि	कुल राशि	व्यय की गई राशि	बचत
1.	कबीरस्तान घेराबन्दी	2010-11	25,60,516.00	5,09,500.00	30,70,016.00	25,75,516.00	4,94,500.00
		2011-12	4,94,500.00	1,18,788.00	6,13,288.00	X	6,13,288.00
2.	डीजल अनुदान 2245 आपदा	2010-11	शून्य	28,78,414.00	28,78,414.00	26,47,760.00	2,30,654.00
		2011-12	2,30,654.00	7,86,903.00	10,17,557.00	X	10,17,557.00
3.	एस०जी०आर०वाई० 30%	2010-11	7,66,80.00	—	7,66,80.00	—	7,66,80.00
		2011-12	7,66,80.00	40,386.00	1,17,066.00	85.00	1,16,981.00
4.	सांसद/पार्षद विधायक	2010-11	38,15,776.81	4,58,816.20	84,03,938.81	60,76,886.00	23,27,052.81
		2011-12	23,27,052.81	2,18,585.00	45,12,902.81	1,13,543.80	33,77,464.81
5.	स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना	2010-11	6,82,466.00	1,75,000.00	8,57,466.00	2,58,500.00	5,98,966.00
		2011-12	5,98,966.00	5,75,532.00	1,17,44,98.00	—	1,17,44,98.00

6.	पंचायत युवा क्रीड़ा एवं खेल	2010-11	शून्य	50,000.00	50,000.00	शून्य	50,000.00
		2011-12	50,000.00	44000.00	94000.00	50,000.00	44000.00
7.	इन्दिरा आवास	2010-11	3297498.10	16302100.00	19599598.00	8305000.00	1129459.10
		2011-12	11294598.10	14376760.00	25671358.10	20040432.00	5630926.10
8.	विशेष अंगीभूत योजना	2010-11	9000.00	शून्य	9000.00	शून्य	9000.00
		2011-12	9000.00	571182.00	580182.00	357000.00	223182.00
9.	कन्या विवाह योजना	2010-11	1366440.00	707000.00	2073440.00	1785000.00	288440.00
		2011-12	288440.00	800485.00	1088925.00	330104.00	758821.00
10.	बी0आर0जी0एफ0 पंचायत समिति 30%	2010-11	2727244.00	1332492.00	4059736.00	3574684.00	485052.00
		2011-12	485052.00	4131614.00	4616666.00	2095955.00	2520711.00
11.	बी0आर0जी0एफ0 जिला परिषद 20%	2010-11	1740613.00	1113320.00	2853933.00	1775948.00	1077985.00
		2011-12	1077985.00	51345.00	1129330.00	915843.00	213487.00
13.	प्रमुख/उप प्रमुख मुखिया/पंचायत समिति	2010-11	298612.00	1704699.00	2003311.00	1470627.00	532684.00
		2011-12	532684.00	29902.00	562586.00	150.00	562436.00

आर0 जी0 एफ0 पंचायत समिति से सम्बन्धित।

30%

परिशिष्ट "घ" कंडिका सं०-5 (ग) से सम्बन्धित।

क्र० सं०	योजना सं०	रायल्टी कर	बिक्री कर	स०रो० पुस्त में व्यय तिथि	कोषागार में जमा कर व्यय अंकित	अभ्युक्ति
1.	16/09-10	105.00	7793.00	6.7.10	30.3.11	
2.	17/09-10	1606.00	7811.00	27.5.10	30.3.11	
3.	19/09-10	2863.00	6807.00	27.5.10	30.3.11	
4.	21/09-10	6148.00	21147.00	16.6.10	30.3.11	
5.	24/09-10	23.00	412.00	23.6.10	30.3.11	
6.	25/09-10	558.00	5403.00	23.8.10	30.3.11	

रायल्टी — 11,303.00

बिक्री कर — 49373.00

कुल — 60676.00

परिशिष्ट – “ड” कंडिका-6 से सम्बन्धित।

वित्तीय वर्ष –2010-11 से 11-12 तक का असमायोजित

अग्रिम का ब्यौरा – समायोजन हेतु लम्बित।

क्र०	अग्रिम प्राप्तकर्ताका नाम एवं पदनाम	अग्रिम की राशि	अग्रिम की तिथि	प्रयोजन	समायोजन राशि	समायोजन तिथि	शेष राशि
1.	श्री यतीन्द्र कुमार नाजीर	20,000.00	17.4.10	चुनाव हेतु	20,000.00	22.6.11	—
2.	श्री जयदेव महतो प्रखंड शिक्षा प्रसार पदा०	20000.00	23.6.11	मतपत्र छपाई हेतु	—	—	20,000.00
3.	श्री कान्त पासवान जे०एम०एस०	96000.00	17.9.11	छात्रवृत्ति वितरण हेतु	96000	1.9.12	—
4.	.. सुनील कुमार वर्मा प्र०क०पदा०	128500.00	17.9.11		—	—	1,28,500
5.		500000.00	10.11.11		—	—	500000.00
6.		500000.00	10.11.11		—	—	500000.00
7.		800000.00	24.11.11		—	—	800000.00
7.	श्री हिरेन्द्र शर्मा ग्रा० खोजा गाछी वरबीघा	30,000.00	24.11.11	प्रखंड भवन का रंग रोगन	—	—	30,000.00

8.	" "	40,000.00	" "	" "	—	—	40,000.00
9.	" "	45,000.00	" "	" "	—	—	45,000.00

20,63,500.00

परिशिष्ट - "च" कंडिका - 13 से सम्बन्धित।

बी0 आर0 जी0 एफ0 30% पंचायत समिति

योजना सं०	योजना का नाम	अभिकर्ता का नाम	प्राक्कलित राशि	सामग्री	मात्रा	दर	राशि	Vat कटौती दर	राशि	पूर्व में कटौती की गई राशि	अन्तर	अभ्युक्ति
13/10-11	ग्राम जंगीपुर को PCC ढलाई कार्य	श्री इन्द्रसेन पासवान पंचा सं०	200900/-	ईट सिमेंट स्टोन चिप्स	2600 324beg 41. 70m3	3845/प्रति हजार 294. 20%प्रति 409/m3	9997.00 95321.00 17055.00	4% 12.5% 4%	400.00 11915.00 682.00	382.00 10595.00 575.00	18.00 1320.00 107.00	
15/10-11	ग्राम कुतुरचक में PCC ढलाई एवं खाली कार्य	श्री भोला राय पंचा से०	1,60,000/-	ईट सिमेंट स्टोन चिप्स	2759 245 bag 30. 62m3	3845/- 288.90/- 409/m3	10608.00 70780.00 12524.00	4% 12.5% 4%	425.00 8848.00 501.00	406.00 7840.00 423.00	19.00 1008.00 78.00	
16/10-11	ग्राम सामस खूर्द में	श्री भोला राम पं० सं०	199300/-	ईट सिमेंट स्टोन	2332 314 bag	3845/- 294.20/- 409/m3	8967.00 92380.00	4% 12.5% 4%	359.00 11548.00	344.00 10058.00 556.00	15.00 1490.00 00	

	PCC ढलाई एवं नाली निर्माण			चिप्स	44. 33m3		00 16495. 00		00 660. 00		104. 00	
17/10-11	ग्राम अकबर बिगहा PCC ढलाई एवं नाली निर्माण	श्री भोला राय पं० सं०	101008/-	ईट सिमेंट स्टोन चिप्स	2262 150 bag 19. 24m3	3845/- 294.20/- 409/m3	8967. 00 92380. 00 16495. 00	4% 12.5% 4%	348. 00 5516. 00 315. 00	333.00 4905.00 266.00	15.00 611. 00 49.00	
21/10-11	ग्राम पुनेसरा में PCC ढलाई कार्य	श्री जितेन्द्र कु० सिंह पंचा से०	102500/-	ईट सिमेंट स्टोन चिप्स	5000 82 bag 10.5m3	3845/- 315/- 409/m3	19225. 00 25830. 00 4295. 00	4% 12.5% 4%	769. 00 3229. 00 172. 00	735.00 2870.00 147.00	34.00 359. 00 25.00	
23/10-11	ग्राम डीह में PCC ढलाई कार्य	श्री पशुराम सिंह पंचा सचिव	108600/-	सिमेंट	176 beg	315/-	55440. 00	12.5%	6930. 00	5572.00	1358. 00	

25 / 10-11	ग्राम गिल्कीचक में PCC ढलाई कार्य	श्री पशुराम सिंह पंचा सचिव	152400 / -	ईट सिमेंट चिप्स	6257 172 bag 22. 03m3	3845 / - 315 / - 476 / m3	24058. 00 54180. 00 10486. 00	4% 12.5% 4%	962. 00 6773. 00 420. 00	920.00 4768.00 356.00	42.00 2005. 00 64.00	
28 / 10-11	ग्रा0 सामस बूजुर्ग में PCC एवं नाली निर्माण	श्री भोला राम पंचा सं0	100000 / -	ईट सिमेंट चिप्स	761 66 bag 21. 34m3	3845 / - 294.20 / - 476 / m3	2926. 00 48837. 00 8728. 00	4% 12.5% 4%	117. 00 6105. 00 359. 00	112.00 5445.00 294.00	05.00 660. 00 65.00	

9451.00

29 / 10-11	ग्रा0 कुतुचक में PCC ढलाई कार्य	श्री भोला राम पंचा सं0	99900 / -	ईट सिमेंट चिप्स	2283 149 bag 17. 63m3	3882. 90 / - 315 / - 476 / m3	8865. 00 46935. 00 8392. 00	4% 12.5% 4%	355.00 5867. 00 336.00	340.00 4135.00 285.00	15.00 1732. 00 51.00	
01 / 11-12	ग्राम देलवाग्राम तक	श्री इन्द्रसेन पासवान	497100 / -	ईट सिमेंट चिप्स	19800 625 bag	388.90 / - 315 / - 476 / -	76881. 00 196875.	5% 13.5% 5%	3844. 00 26578.	2910.00 17344.00 1148.00	934.00 9234. 00	

	PCC एवं पुल निर्माण	पंचा0से0		स्टोन डस्ट	80. 28m3 44.6 m3	76 / m3	00 38213. 00 3390.00	5%	00 1911. 00 170.00	67.00	763.00 103.00	
02 / 11-12	ग्रा0 पुनेसरा में PCC ढलाई एवं सड़क मरम्मती	श्री जितेन्द्र कुमार सिंह	153700 / -	सिमेंट स्टोन चिप्स	628 bag 34. 41m3	315 / - 476 / m3	84420. 00 16379. 00	13.5% 5%	11397. 00 816.00	8040.00 494.00	3357. 00 322.00	
04 / 11-12	ग्राम अकबर बिगहा में महेश प्रसाद घर से रबीन्द्र प्र0 के दलान तक PCC ढलाई कार्य	श्री नन्द किशोर प्रसाद	153000 / -	ईट सिमेंट छड़ स्टोन चिप्स	6802 140 bag 509 K.G 15. 73m3	3882. 90 / - 315 / - 44.10 / K.G 476 / m3	26411. 00 44100. 00 22447. 00 7487. 00	5% 13.5% 5% 5%	1321. 00 5953. 00 1122. 00 374.00	1012.00 3885.00 877.00 254.00	309.00 2068. 00 245.00 120.00	

योजना सं०	योजना का नाम	अभिकर्ता का नाम	प्राक्कलित राशि	सामग्री का नाम	मात्रा	दर	राशि	वैट कटौती की दर	वास्तविक कटौती योग्य	पूर्व में कटौती की गई	अन्तर
03/09-10	ग्राम मिल्कीचक में पी०सी०सी० ढलाई	मो०ताहिर इमाम पंचा० से०	157900/-	ईट	4217	3845/-	16214.00	4%	649.00	616.00	33.00
17/09-10	ग्राम अहियापुर में पोखर में सड़क के किनारे गाइड दिवाल का निर्माण	श्री इन्द्रदेव पासवान पं० से०	205000/-	ईट सिमेंट	22809 142beg	3845/ 315/बैग	87701.00 44730.00	4% 12.5%	3508.00 5591.00	3353.00 4310.00	155.00 1281.00
20/09-10	ग्राम नागडीह में आर० सी० सी० पुलिया	श्री पशुराम सिंह पं०से०	206800/-	ईट सिमेंट स्टोन चिप्स	15887 185beg 10.52 m3	2962/- 273.70/ 419/m3	47057.00 50634.00 4408.00	4% 12.5% 4%	1882.00 6329.00 176.00	1795.00 5557.00 -	87.00 772.00 176.00
21/09-10	ग्राम जयरामपुर से तेउस मे पी०सी०सी० कार्य	श्री पशुराम सिंह पं०से०	400000/-	ईट सिमेंट स्टोन चिप्स	9180 596beg 66.55 m3	3845/- 315 beg 419/m3	32297.00 187740.00 27465.00	4% 12.5% 4%	1412.00 23467.00 1098.00	1350.00 20860.00 1047.00	62.00 2607.00 51.00

23/09-10	पॉक मे पी0सी0सी0 कार्य	मो0 ताहिर इमाम पंचा0 से0	146500/-	ईट सिमेंट स्टोन चिप्स	4500 198beg 27.05 m3	3845/- 315 beg 419/m3	17303. 00 6237.00 16214. 00	4% 12.5% 4%	692.00 7796.00 649.00	- 6930.00 616.00	692.00 866.00 33.00
19/09-10	सर्वा सुमुदायिक भवन में ईट सोलिंग एवं पी0सी0सी0	श्री पशुराम सिंह पंचा0 से0	171000/-	ईट सिमेंट स्टोन चिप्स	9335 180bag 23.16 m3	3845/- 315 bag 419/m3	35893. 00 56700. 00 9704.00	4% 12.5% 4%	1436.00 7088.00 388.00	1054.00 5407.00 331.00	382.00 1681. 00 57.00

05/10-11	कुरात में समुदायिक भवन निर्माण	श्री पशुराम सिंह पंचा0 से0	298700/-	ईट सिमेंट छड़ चिप्स	12956 173bag 1278. 41kg 14. 94/m3	3848/प्रति हजार 272.45 beg 48.05/ प्रतिkg 419/m3	49816. 00 47134. 00 61428. 00 6260.00	4% 12.5% 4% 4%	1992.64 5891.75 2457.00 250.00	1904.00 5785.00 1921.00 236.00	88.64 106.75 536.00 14.00
07/10-11	पुनेसरा में यात्री शेड का निर्माण	श्री नन्द किशोर प्र0	229000/-	ईट चिप्स	5449 9.25	3845/प्रति हजार	20951. 00	4% 4%	838.00 155.00	801.00 144.00	37.00 11.00

		पंचा० सचिव			m3	419 / m3	3876.00				
08 / 10-11	धरसेनी में समुसायिक भवन निर्माण	श्री इन्द्रसेन पासवान पंचा० सचिव	298700 / -	ईट सिमेंट छड़ चिप्स	14179 166 bag 1331kg 14. 74 / m3	3845 / प्रति हजार 315 / प्रति 36.92 / - 419 / m3	54518. 00 52290. 00 49141. 00 6176.00	4% 12.5% 4% 4%	2180.00 6536.00 1965.00 247.00	2085.00 5810.00 1956.00 211.00	95.00 726.00 9.00 36.00
3 / 09-10	ग्रा० मदपर पासवान टोला में समुदायिक भवन निर्माण	„ पशुराम सिंह पंचा०सचिव	375200 / -	ईट चिप्स सिमेंट छड़	12255 18.57 m3 242 bag 1655.44 / kg	3845 / प्रति हजार 419 / m3 267.50 / - 48 / -	58655. 00 7781.00 64735. 00 79461. 00	4% 4% 12.5% 4%	2346.00 311.00 8092.00 3178.00	2205.00 32.00 5976.00 1256.00	141.00 279.00 2116. 00 1922. 00
4 / 09-10	ग्रा० तेउस में उतर टोला P.c.c कार्य	पशुराम सिंह	282500 / -	सिमेंट ईट चिप्स	332 bag 14168 37.78 m3	315 / - 3845 / - 494 / m3	104580. 00 54476. 00 18663. 00	12.5% 4% 4%	13072. 00 2179.00 746.00	11620. 00 2083.00 641.00	1452. 00 96.00 105.00

5/09-10	काशी विगहा में समुदायिक भवन निर्माण	पशुराम सिंह	298100/-	सिमेंट छड़ चिप्स	178 bag 1191.79 kg 14.15 m3	315/- 36.92/ kg 419/ m3	56070. 00 44000. 00 5929.00	12.5% 4% 4%	7008 1760.00 237.00	5340.00 1326.00 27.00	1668. 00 434.00 210.00
---------	---	----------------	----------	------------------------	--	-------------------------------	---	-------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------

कुल योग-47721.00

परिशिष्ट – “छ” कंडिका – 15 से सम्बन्धित।

बैंक का नाम एवं खाता सं०	सूद प्राप्ति की तिथि	सूद की राशि	योग
P.N.B 011005723	5.9.10	824.00	3573.00
	2.3.11	827.00	
	2.9.11	936.00	
	6.3.12	986.00	
P.N.B 0110017454	5.9.10	29427.00	51345.00
	2.3.11	21918.00	
0110017445	5.9.10	37,923.00	98775.00
	2.3.11	30,739.00	
	2.9.11	15318.00	
	6.3.12	14795.00	
0110035654	2.9.11	157490.00	259268.00
	6.3.12	101778.00	
01100121581	5.9.10	2932.00	12716.00
	2.3.11	2944.00	
	2.9.11	3331.00	
	6.3.12	3509.00	
0110004405	5.9.10	300.00	1301.00
	2.3.11	301.00	
	2.9.11	341.00	
	6.3.12	359.00	

0110017199	2.9.11	38799.00	98445.00
	6.3.12	59646.00	
0110017180	5.9.10	3893.00	13606.00
	2.3.11	2923.00	
	2.9.11	3307.00	
	6.3.12	3483.00	
0110005732	5.9.10	4026.00	17461.00
	2.3.11	4043.00	
	2.9.11	4574.00	
	6.3.12	4818.00	
0110036723	2.9.11	10199.00	41833.00
	6.3.12	31634.00	
01100120652	5.9.10	5069.00	21985.00
	2.3.11	5091.00	
	2.9.11	5759.00	
	6.3.12	6066.00	
011005909	5.9.10	2525.00	10949.00
	2.3.11	2535.00	
	2.9.11	2868.00	
	6.3.12	3021.00	

कुल योग –

631257.00

बैंक का नाम एवं खाता सं०	सूद प्राप्ति तिथि	सूद की राशि	योग
P.N.B 0100116516	5.9.10	1389.00	6024.00
	2.3.11	1395.00	
	2.9.11	1578.00	
	6.3.12	1662.00	
010016941 P.N.B	5.9.10	1010.00	4381.00
	2.3.11	1014.00	
	2.9.11	1148.00	
	6.3.12	1209.00	
01100121545 P.N.B	5.9.10	3469.00	16349.00
	2.3.11	4788.00	
	2.9.11	3941.00	
	6.3.12	4151.00	
0110005741 P.N.B	5.9.10	574.00	2489.00
	2.3.11	576.00	
	2.9.11	652.00	
	6.3.12	687.00	
भारतीय स्टेट बैंक वरबीघा 11464128035	30.6.10	10006.00	41497.00
	31.12.10	8890.00	
	30.6.11	10609.00	
	31.12.11	11992.00	

S.B.I 11464128159	31.12.10 30.6.11 31.12.11	4465.00 4678.00 5287.00	14430.00
S.B.I 11464127950	31.12.10 30.6.11 31.12.11	2290.00 2399.00 2711.00	7400.00
11464128568 S.B.I	30.6.10 31.12.10 30.6.11	1627.00 1671.00 1751.00	5049.00
01037173346 S.B.I	30.6.10 31.12.10 30.6.11 31.12.11	1981.00 1876.00 2661.00 3008.00	9526.00
11464242918 S.B.I	30.6.10 31.12.10 30.6.11 31.12.11	6662.00 996.00 3196.00 6743.00	17597.00
31037174248 S.B.I	30.6.10 31.12.10 30.6.11	28148.00 34604.00 36257.00	99009.00

बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बचत बरबीधा खाता सं० 7268	31.12.10	470.00	1232.00
	4.7.11	211.00	
	4.1.12	551.00	
बचत खाता सं० 648	30.6.10	10152.00	37483.00
	31.12.10	10428.00	
	4.7.11	4680.00	
	4.1.12	12223.00	
खाता सं० A/C 13027	30.6.10	7050.00	18303.00
	31.12.10	8274.00	
	4.7.11	2979.00	
A/C 6372	30.6.10	620.00	1543.00
	31.12.10	637.00	
	4.7.11	286.00	
A/C 7084	30.6.10	5696.00	14173.00
	3.12.10	5851.00	
	4.7.11	2626.00	
A/C 7898	30.6.10	9966.00	24797.00
	31.12.10	10237.00	
	4.7.11	4594.00	

A/C 8002	30.6.10	1681.00	4182.00
	31.12.10	1726.00	
	4.7.11	775.00	
कुल योग –			956721.00

परिशिष्ट - "ज" कंडिका - 16 से सम्बन्धित।

रायल्टी एवं बिक्री कर से प्राप्त राशि का विवरणी।

क्र०	शीर्ष का नाम	योजना सं०	रायल्टी	बिक्री कर	योजना पूर्ण होने की तिथि
1.	बी०आर०जी०एफ० 20% जिला परिषद	5/09-10	2760.00	8827.00	28.3.11
		2/10-11	—	8000.00	24.1.11
		3/10-11	146.00	3460.00	10.6.11
		4/10-11	74.00	1781.00	10.6.11
		5/10-11	210.00	1247.00	23.5.11
		6/10-11	1106.00	3805.00	22.9.11
		7/10-11	1844.00	7778.00	24.8.11
		8/10-11	2808.00	10499.00	24.8.11

8948.00 45397.00

रायल्टी — 8948.00

बिक्री कर — 45397.00

कुल योग — 54345.00